राजस्व अपील संख्या 130 / 2022

अनवान

अलसाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

दिनांक 29 –03–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश कमांक / प्र.ग.स. / 2021 / 344 दिनांक 04–02–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।

वकील अपीलांट श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी एवं रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित । पक्षकारो के अधिवक्ताओ की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–02–2022 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही है।

इस सम्बध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते के सम्बध मे जारी परिपत्र की पूर्ण पालना करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

हमने पक्षकारो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम शैतानसिंहनगर तहसील लोहावट के सबंध मे पारित किये गये आदेश दिनांक 04–02–2022 एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/344 दिनांक 04–02–2022 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे रास्ते का मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे वर्णित अपीलान्ट के खातेदारी के खंसरा न0 341 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर